

OLD

APPROVAL AND MAPS

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सं. वि. प्र. / सं.स. / बी.पी.सी. (बी.पी.) / 2016 / डी-783

दिनांक - 01/11/2016

श्री महेश्वर अग्रवाल

इंजीनियर साइडकर

विद्युत सेवा एन्टरप्राइजेज एलएलपी

25ए बंगला नगर, गोपालपुरा बाईपास,

जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 463 (पुराना खसरा नम्बर 286/1, 286/2), ग्राम रामपुरारूपा, टाँक रोड, जयपुर के प्रस्तावित मिश्रित उपयोग (वाणिज्यिक सह आवासीय प्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2015 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 463 (पुराना खसरा नम्बर 286/1, 286/2), ग्राम रामपुरारूपा, टाँक रोड, जयपुर में स्थित भूखण्ड (2563.30 वर्गमीटर क्षेत्रफल + सड़क मार्गाधिकार समर्पित भूमि 187.47 वर्गमी.) पर 15.00 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट-1 + बेसमेन्ट-2 + लोअर ग्राउण्ड + अपर ग्राउण्ड + 3 सजिल) के प्रस्तावित मिश्रित उपयोग (वाणिज्यिक सह आवासीय प्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 179वीं बैठक दिनांक 18.01.2016 को निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा साह माघ 2023 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण उल्लेखित मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डिवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रवर्तित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आए तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्त अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन-01 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा खिन्ध लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन-01 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जायेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा रूप विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं छिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत मिश्रित उपयोग (वाणिज्यिक सह आवासीय प्लेट्स) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

12. स्वीकृत भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकी विज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकी विज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
15. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु नि:शुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
19. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केंवर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केंवर टेकर को मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
20. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "मलल तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
21. प्रसंगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

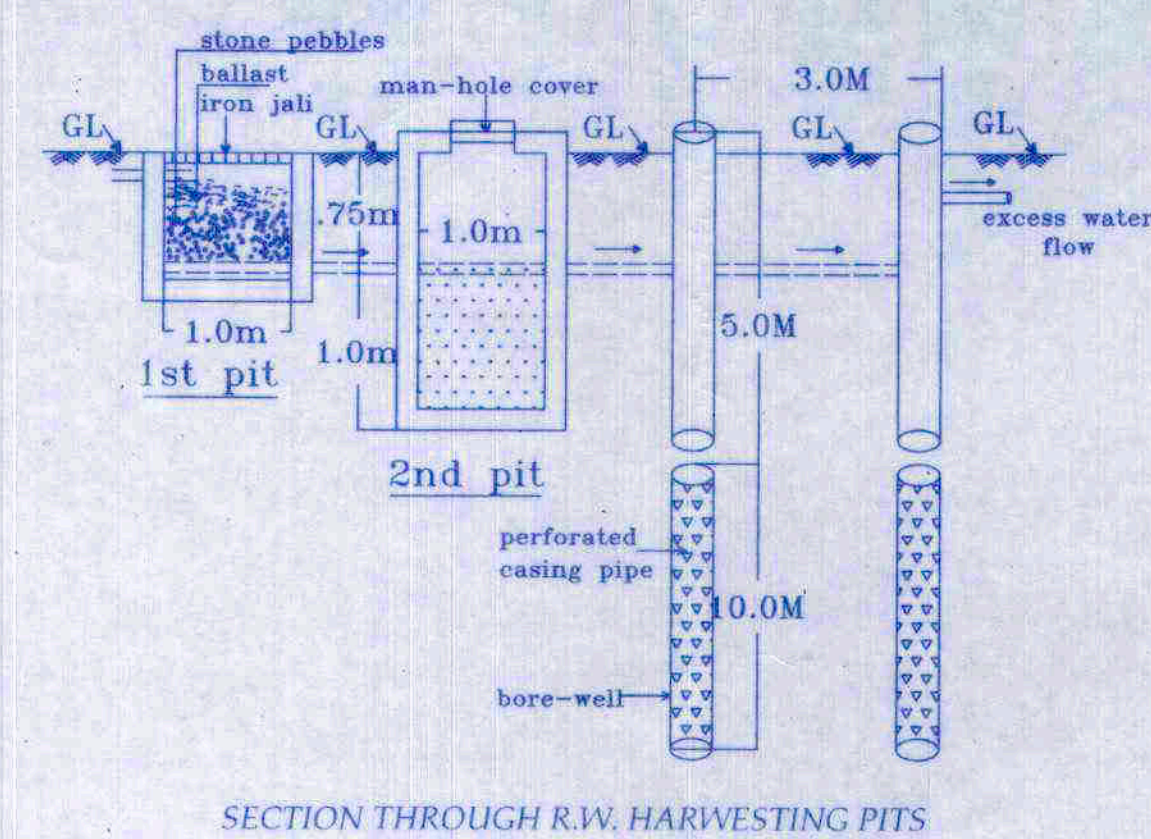
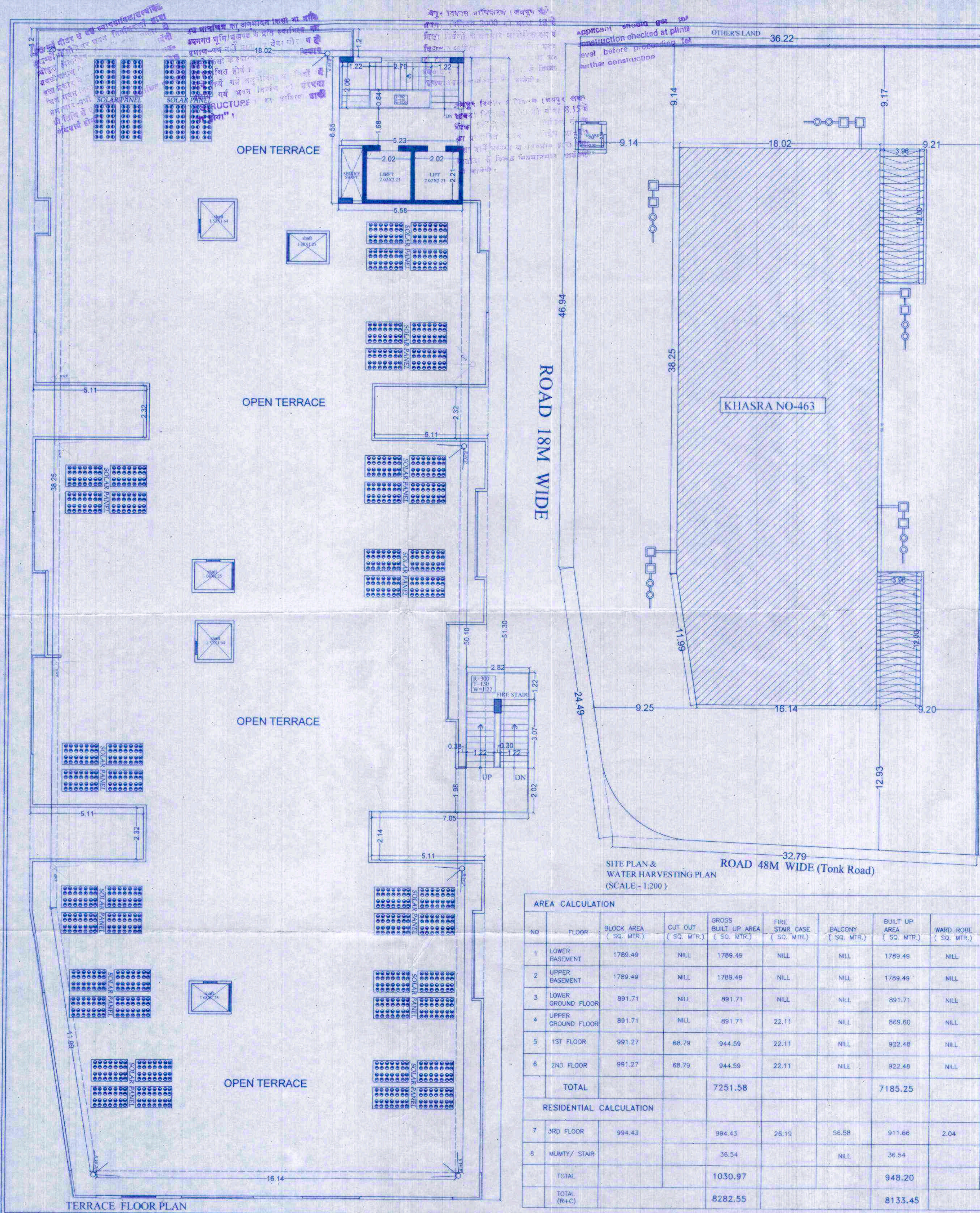
संलग्न - मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (08 मानचित्र)

भवदीय
(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जौन-01, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जौन-01, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. अधिशासी अभियन्ता, बीपीसी-द्वितीय जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

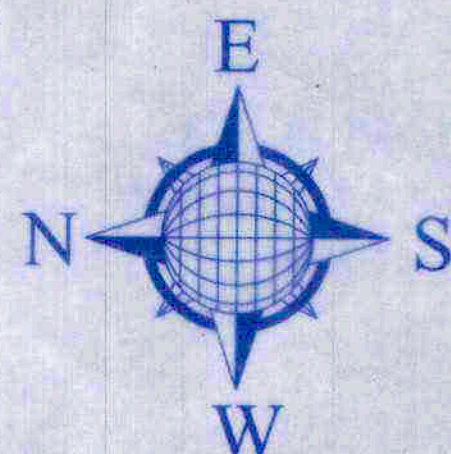
AREA DETAIL COMMERCIAL			
	GROSS BUILT-UP AREA (Sq.M.)	BUILT-UP AREA (Sq.M.)	F.A.R. (Sq.M.)
	7251.58	7185.25	2379.97
1.	PERMISSIBLE CORRIDOR AREA 20% OF 2379.97 = 476.0		
	ACHIEVED CORRIDOR AREA = 1050.37		574.37
	EXCEED CORRIDOR F.A.R.		
	PERMISSIBLE SERVICES AREA 7% OF 2379.97 = 166.59		
	ACHIEVED SERVICES AREA = 26.82		NILL
	EXCEED SERVICES F.A.R.		
	TOTAL ACHIEVED F.A.R.		2954.34

AREA DETAIL RESIDENTIAL			
	GROSS BUILT-UP AREA (Sq.M.)	BUILT-UP AREA (Sq.M.)	F.A.R. (Sq.M.)
	1030.97	948.2	704.97
1.	PERMISSIBLE STORE AREA 3% OF 704.97 = 21.14		
	ACHIEVED STORE AREA = 20.93		NILL
	EXCEED STORE F.A.R.		
2.	PERMISSIBLE CORRIDOR AREA 15% OF 704.97 = 105.74		
	ACHIEVED CORRIDOR AREA = 133.93		26.19
	EXCEED CORRIDOR F.A.R.		
3.	PERMISSIBLE SERVICES AREA 7% OF 704.97 = 49.34		
	ACHIEVED SERVICES AREA = 30.11		NILL
	EXCEED SERVICES F.A.R.		
	TOTAL ACHIEVED F.A.R.		733.16

TOTAL AREA DETAIL COMMERCIAL & RESIDENTIAL			
	GROSS BUILT-UP AREA (Sq.M.)	BUILT-UP AREA (Sq.M.)	F.A.R. (Sq.M.)
	8282.55	8133.45	3687.50

S.NO	REFERENCE
1.	TOTAL PLOT AREA = 2563.30 SQ. MT.
2.	MAX. PER. F.A.R. AREA = 3.75 X 2563.30 = 9612.37 SQ. MT.
3.	F.A.R. AREA FOR LAND SUBMITTED FOR RUD. W/NO. = 187.47 SQ. MT.
4.	PROPOSED F.A.R. AREA = 3687.50 SQ. MT.
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 35.90 %
6.	PROPOSED E.C.U. = 110 CAR OR 143 SCOOTER

PARKING CALCULATION:-	
E.C.U. FOR PARKING REQUIRED RESIDENCE = 733.16 / 75	= 9.77 E.C.U.
E.C.U. FOR PARKING REQUIRED COMMERCIAL = 2563.30 / 50	= 51.26 E.C.U.
TOTAL REQUIRED ECU = 9.77 + 51.26 = 61.03 ECU	
ADD 25% FOR VISITORS' PARKING = 1.25 X 61.03	= 15.26 ECU
TOTAL REQUIRED ECU = 61.03 + 15.26 = 76.29 ECU	
75% CAR = 64.54 E.C.U. SAY 65 CARS	
SCOOTER = 21 X 3 = 63 SCOOTERS	
E.C.U. PROVIDED:	
1. ON SET BACK	CARS = 38 Nos.
SCOOTER = 51 Nos.	
2. ON LOWER BASEMENT	CARS = 36 Nos.
SCOOTER = 46 Nos.	
3. ON UPPER BASEMENT	CARS = 36 Nos.
SCOOTER = 46 Nos.	
CARS = 36 + 36 + 36 = 108 CARS = 110 ECU	
SCOOTER = 51 + 46 + 46 = 143 SCOOTER (47.66 E.C.U.)	
TOTAL ECU PROVIDE = 110 + 47.66 = 157.66 ECU	



PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL/
FLATS AT KHASRA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA
TONK ROAD, TEH, DISTT
JAIPUR

OWNER

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership

Mohandas
Partner

ARCHITECT:-

KUMAR S. KUMAR
S. KUMAR
CA 200026400

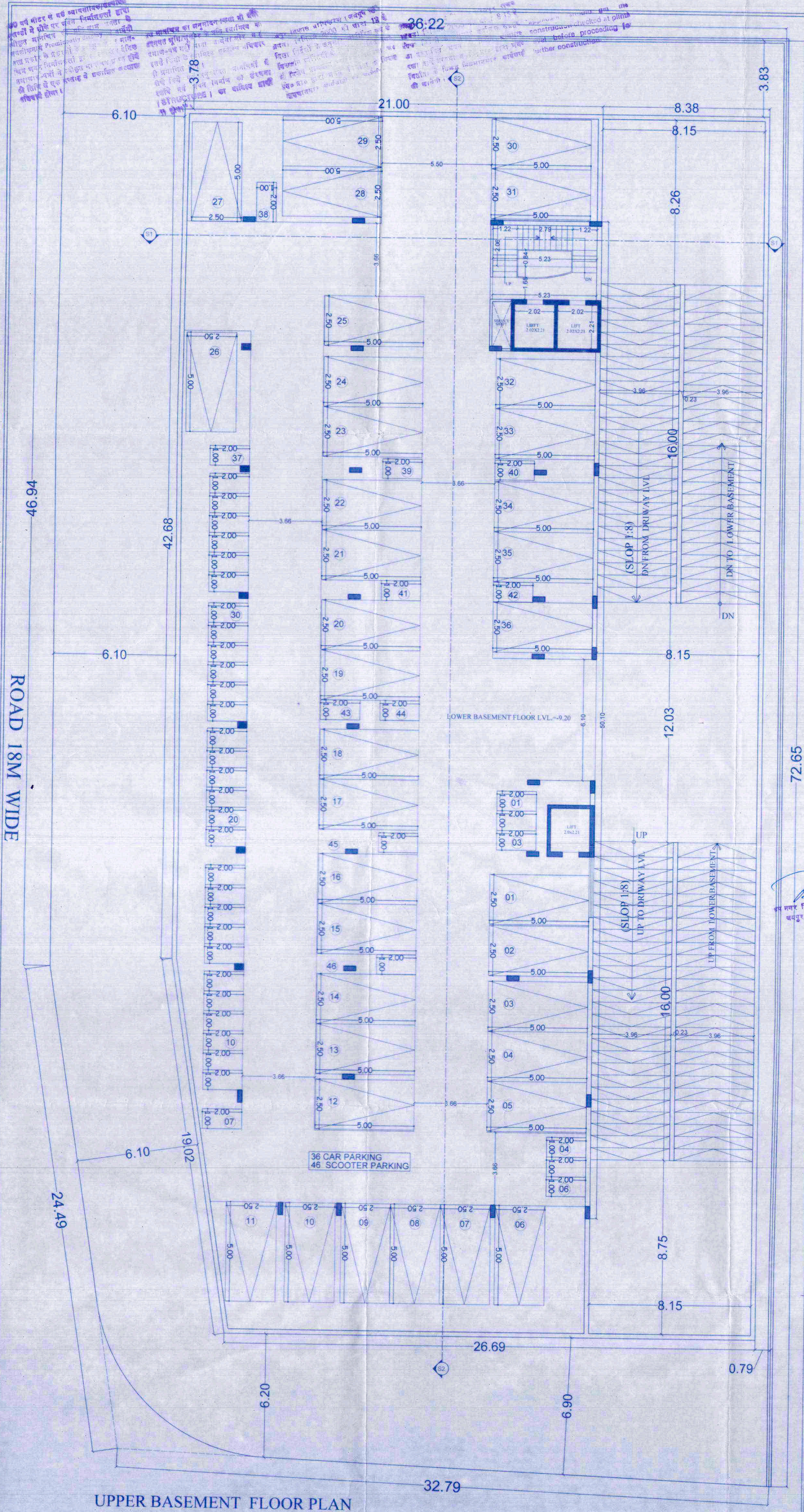


PROPOSED COMMERCIAL/
FLATS AT KHASRA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA
TONK ROAD, TEH, DISTT
JAIPUR

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership

Liability Partnership
Mohamed Ghannam
 Partner

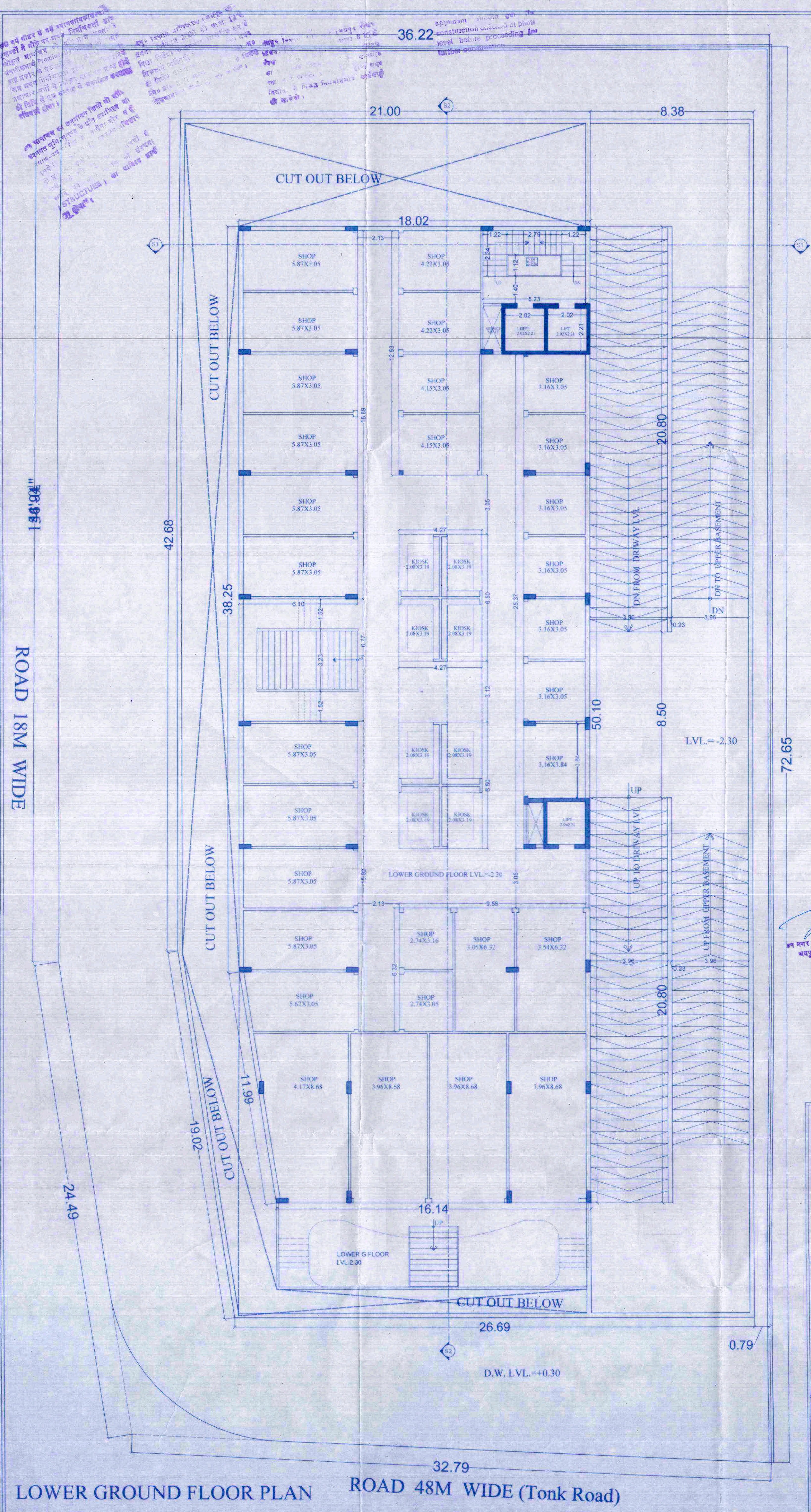
KUMAWAT S. KUMAT
ARCHITECT.
CA/203



यवन मानचित्र सर्वेक्ष (सी.सी.) की ... 179... की
शेड्ड दिनांक 18/11/2016 में लिखे गये निर्देश
की अनुसरण में यवन मानचित्र एजेंसी/अधिकारी
स.स./सी.सी. (सी.सी.)/सी.सी. 763 दिनांक.....
01/11/2016 जारी किया गया है।

SHEET NO - 4

36.22 application submitted for the construction of the building at plot level before proceeding to further construction.



यवन मानचित्र सर्वेक्ष (सी.सी.) की ... 179... की
शेड्ड दिनांक 18/11/2016 में लिखे गये निर्देश
की अनुसरण में यवन मानचित्र एजेंसी/अधिकारी
स.स./सी.सी. (सी.सी.)/सी.सी. 763 दिनांक.....
01/11/2016 जारी किया गया है।

PROJECT:-
PROPOSED COMMERCIAL/
FLATS AT KHASRA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA
TONK ROAD, TEH, DISTT
JAIPUR

OWNER

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership
Partner

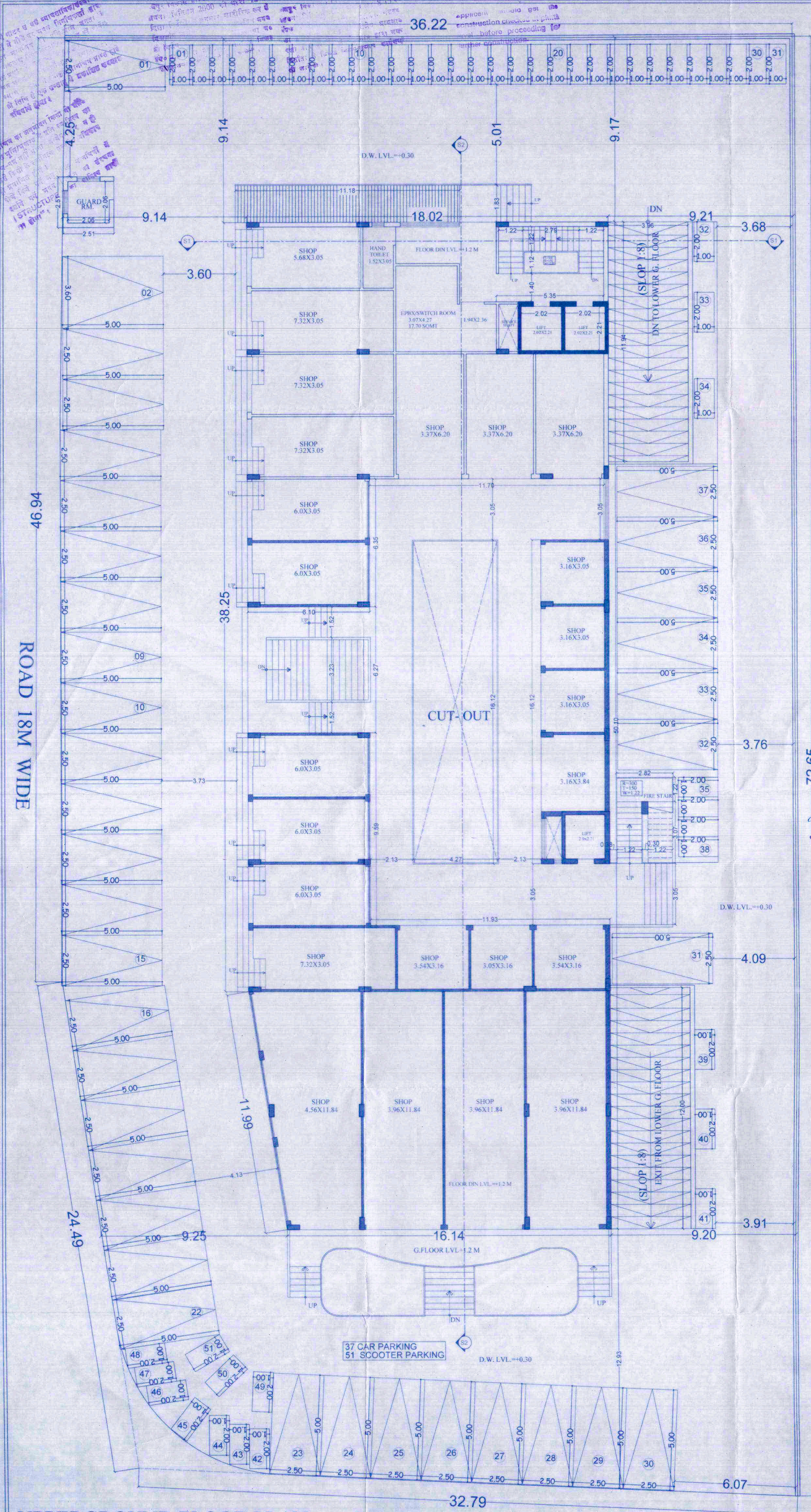
ARCHITECT:-

KUMAR S. KUMAR
ARCHITECT
CA/250/264/20

LOWER GROUND FLOOR PLAN ROAD 48M WIDE (Tonk Road)

भवन मानचित्र सविधि (सी.टी.) की ...179... की
डिजिटल प्रमाणित 18/12/16 में विवेक एवं विवेक
की अनुमति में भवन मानचित्र परीक्षा कक्षा
स.स./सीपीटी (सीटी)/डी 783 डिजाइन
01/12/16 द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया

SHEET NO-5



प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

PROJECT:-
PROPOSED COMMERCIAL/
FLATS AT KHASRA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA
TONK ROAD, TEH, DISTT
JAIPUR

OWNER

For Triyeni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership
Partner

ARCHITECT:-

KUMARAT S. KUMAR
ARCHITECT
08/10/2016

UPPERGROUND FLOOR PLAN ROAD 48M WIDE (Tonk Road)

अनुमति प्राप्त है कि इस योजना के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध कोई भी शिकायत या अपील करता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संतुष्टिपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध कोई भी शिकायत या अपील करता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संतुष्टिपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

Applicant should get the construction checked at plan stage before proceeding for further construction.

यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध कोई भी शिकायत या अपील करता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संतुष्टिपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

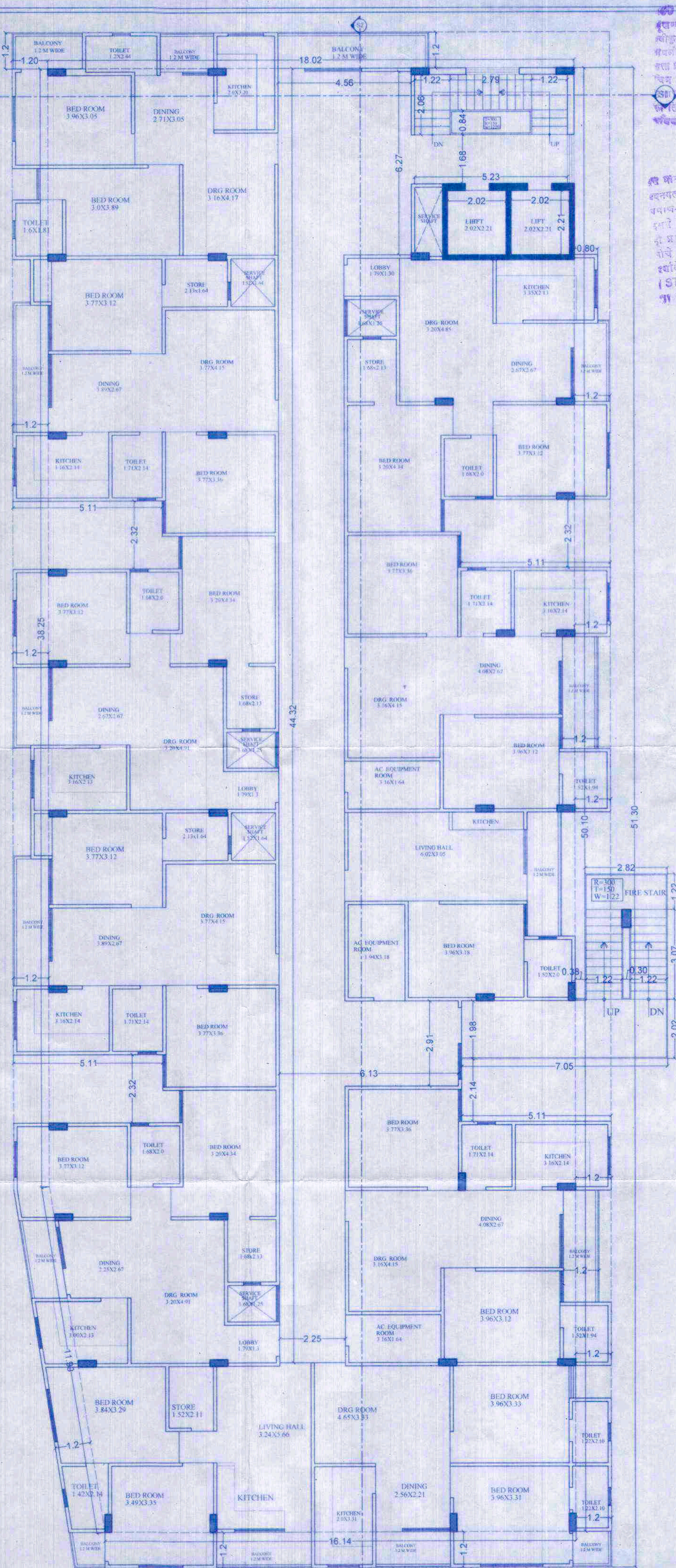
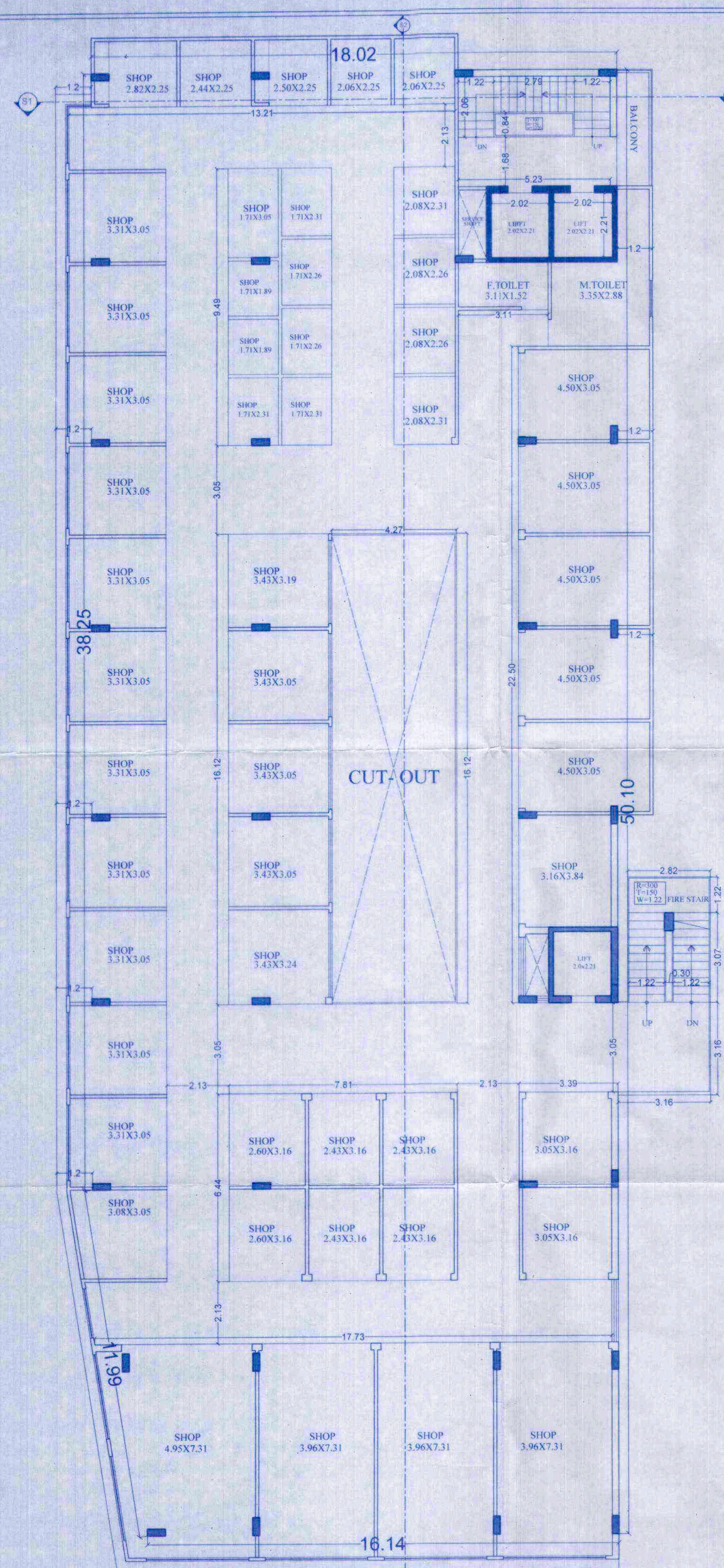
अनुमति

यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध कोई भी शिकायत या अपील करता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संतुष्टिपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध कोई भी शिकायत या अपील करता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संतुष्टिपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध कोई भी शिकायत या अपील करता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संतुष्टिपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना के विरुद्ध कोई भी शिकायत या अपील करता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संतुष्टिपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।



PROJECT:-
PROPOSED COMMERCIAL/
FLATS AT KHASRA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA
TONK ROAD, TEH, DISTT
JAIPUR

OWNER

For Triveni Kripe Enterprises Limited
Liability Partnership

ARCHITECT:-
KUMAR S. KUMAR
ARCHITECT

100 वर्ग मीटर से अधिक व्यापारिक/व्यावसायिक इकाई के लिए नगरपालिका क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार निर्माण किया गया है।

100 वर्ग मीटर से अधिक व्यापारिक/व्यावसायिक इकाई के लिए नगरपालिका क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार निर्माण किया गया है।

100 वर्ग मीटर से अधिक व्यापारिक/व्यावसायिक इकाई के लिए नगरपालिका क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार निर्माण किया गया है।

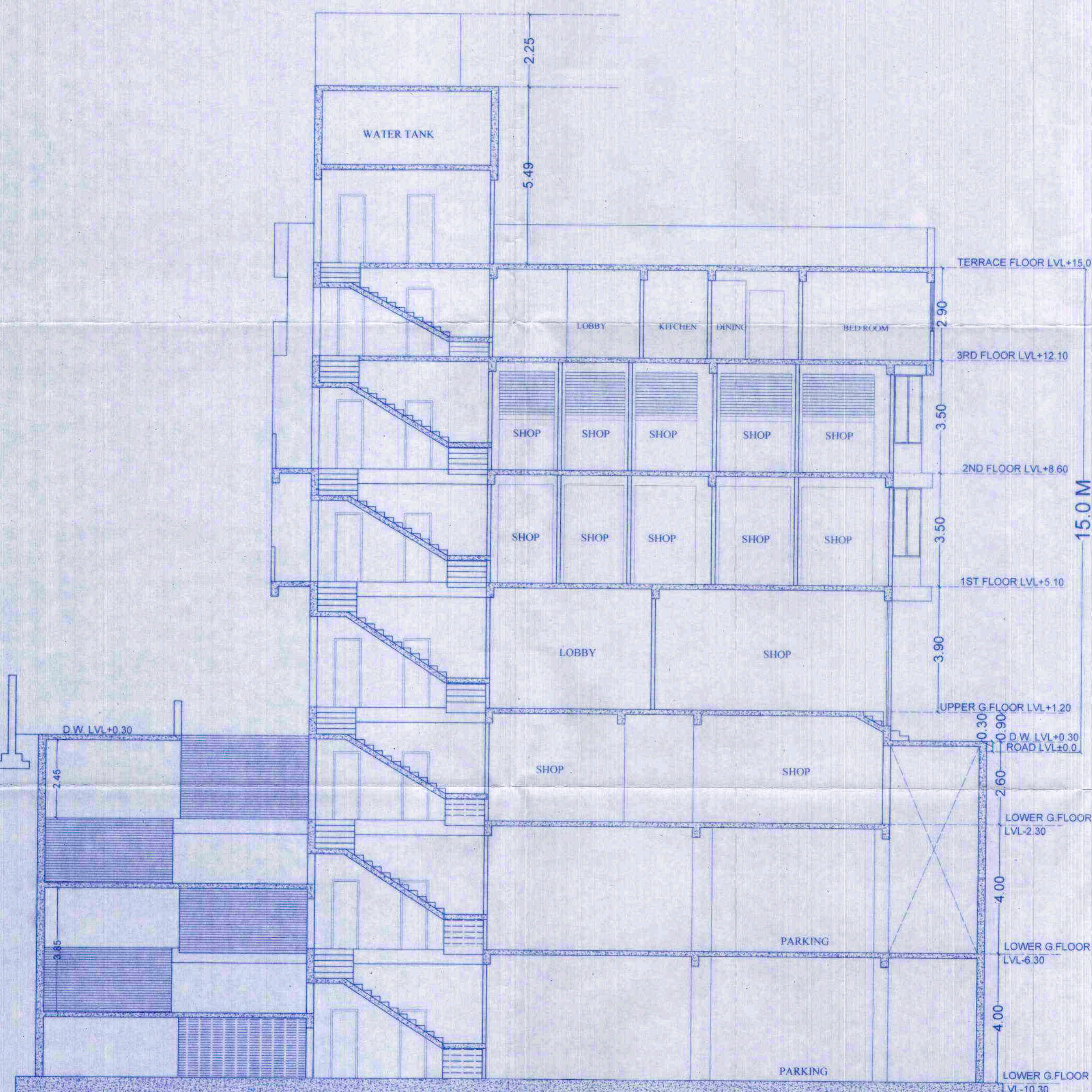
100 वर्ग मीटर से अधिक व्यापारिक/व्यावसायिक इकाई के लिए नगरपालिका क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार निर्माण किया गया है।

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding further construction.

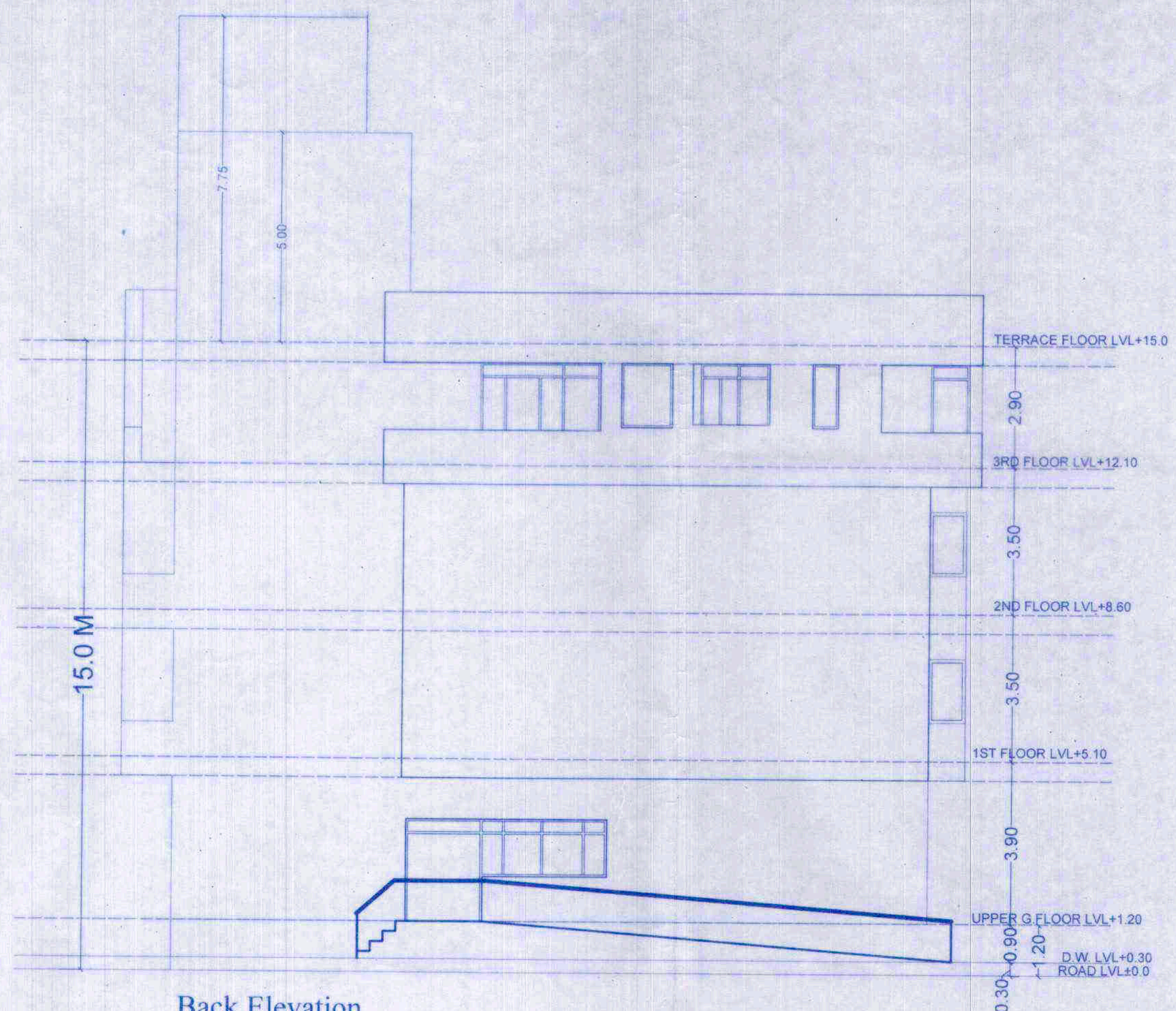
179 मीटर से अधिक लंबाई (सीटी) की इकाई के लिए नगरपालिका क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार निर्माण किया गया है।

179 मीटर से अधिक लंबाई (सीटी) की इकाई के लिए नगरपालिका क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार निर्माण किया गया है।

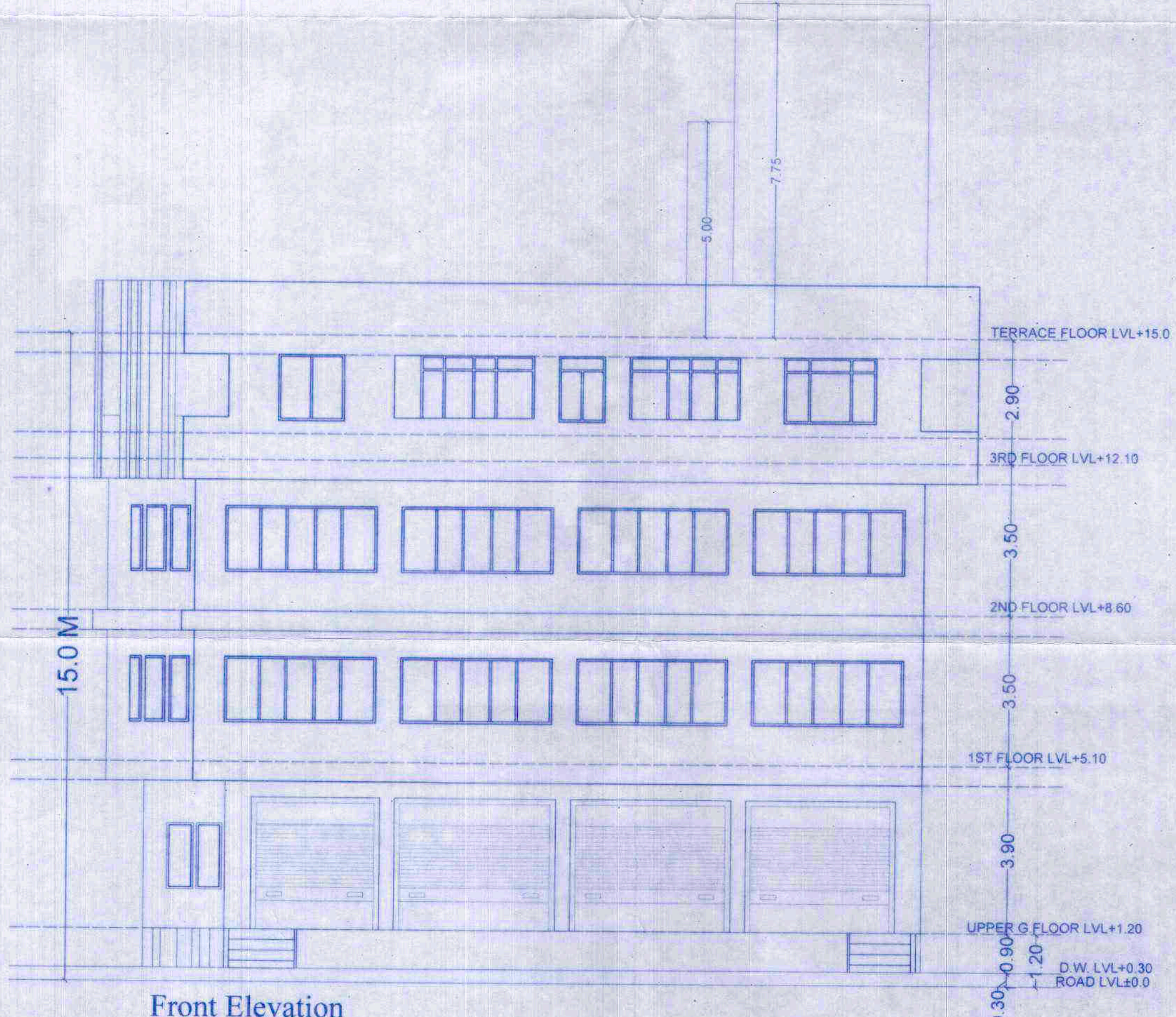
179 मीटर से अधिक लंबाई (सीटी) की इकाई के लिए नगरपालिका क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार निर्माण किया गया है।



SECTION AT S1-S1



Back Elevation



Front Elevation

PROJECT:-
PROPOSED COMMERCIAL/
FLATS AT KHASKA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA
TONK ROAD, TEH, DISTT
JAIPUR

OWNER

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership
Partner

ARCHITECT:-

KUNAWAT S. KUMAR
ARCHITECT

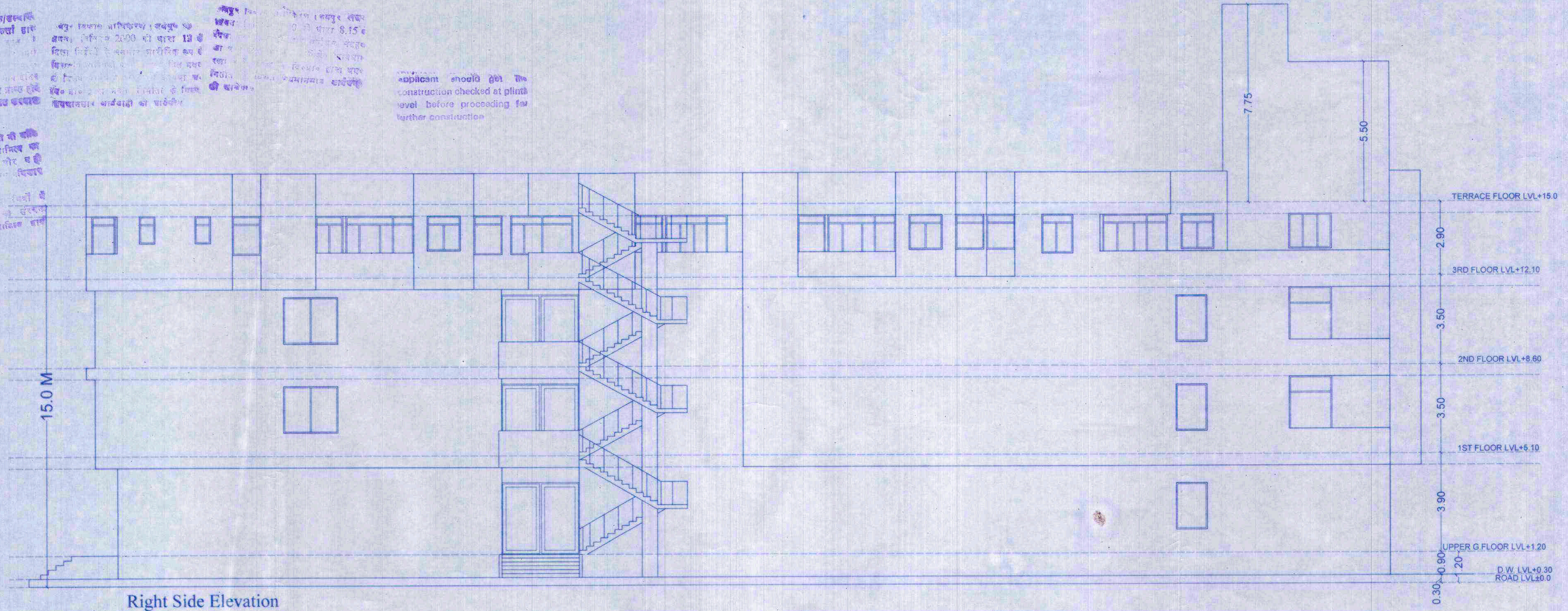
600 वर्ग मीटर से अधिक व्यावसायिक/व्यावसायिक इकाइयों के लिए पर्याप्त निर्माणकर्ता द्वारा प्रमाणित मानक के अनुसार निर्माण किया गया है।
 600 वर्ग मीटर से अधिक व्यावसायिक/व्यावसायिक इकाइयों के लिए पर्याप्त निर्माणकर्ता द्वारा प्रमाणित मानक के अनुसार निर्माण किया गया है।

अनुसंधान और विकास (एडवेंचर) के अंतर्गत, निर्माण 2000 की शुरुआत 13 की दिशा में निर्माण जारी रखा गया है।
 अनुसंधान और विकास (एडवेंचर) के अंतर्गत, निर्माण 2000 की शुरुआत 13 की दिशा में निर्माण जारी रखा गया है।

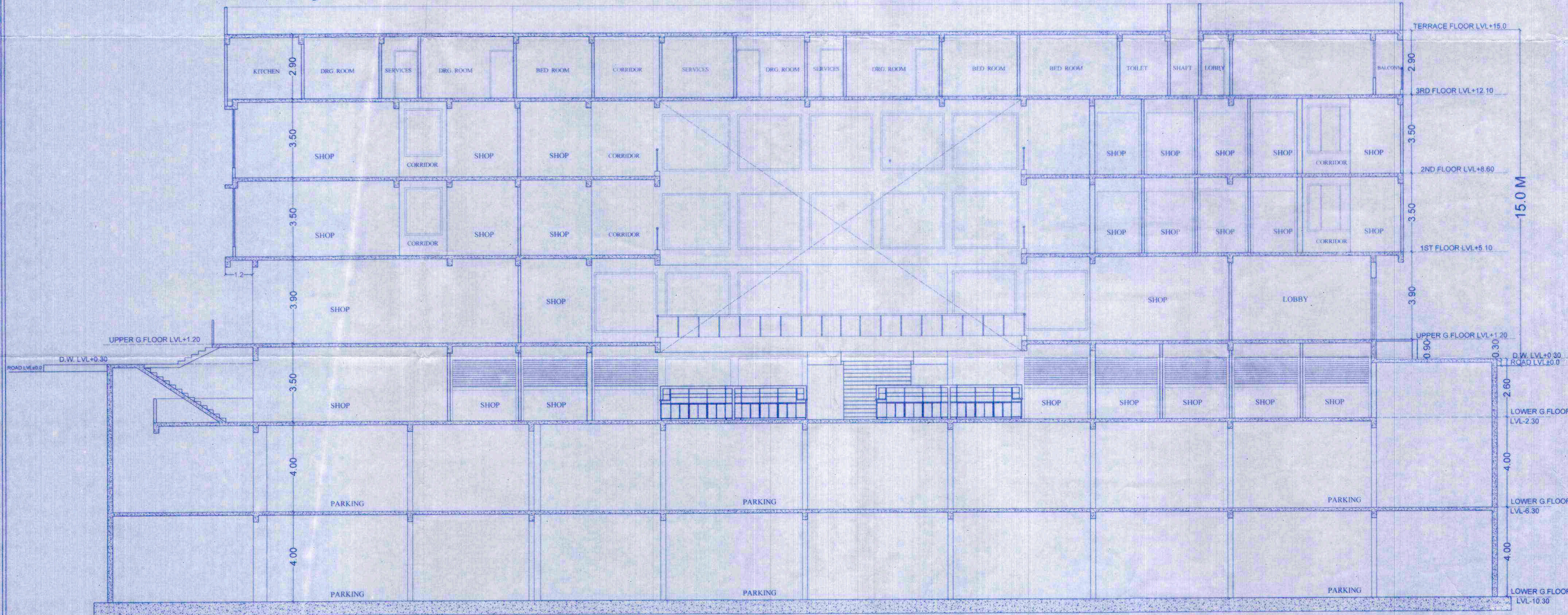
अनुसंधान और विकास (एडवेंचर) के अंतर्गत, निर्माण 2000 की शुरुआत 13 की दिशा में निर्माण जारी रखा गया है।
 अनुसंधान और विकास (एडवेंचर) के अंतर्गत, निर्माण 2000 की शुरुआत 13 की दिशा में निर्माण जारी रखा गया है।

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

अनुसंधान और विकास (एडवेंचर) के अंतर्गत, निर्माण 2000 की शुरुआत 13 की दिशा में निर्माण जारी रखा गया है।
 अनुसंधान और विकास (एडवेंचर) के अंतर्गत, निर्माण 2000 की शुरुआत 13 की दिशा में निर्माण जारी रखा गया है।



Right Side Elevation



SECTION AT S2-S2

PROJECT:-
 PROPOSED COMMERCIAL/
 FLATS AT KHASRA NO. 463
 AT VILLAGE RAMPURA RUPA
 TONK ROAD, TEH, DISTT
 JAIPUR

OWNER
 For Triveni Krupa Enterprises Limited
 Liability Partnership
 Partner

ARCHITECT:-
 KUMAWATS, KUMAR
 ARCHITECT
 CA/2000/25/10/10

REVISED APPROVAL AND MAPS

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बी.पी)/2017/डी-2369

दिनांक:- 17/10/2017

श्री महेन्द्र अग्रवाल,
अधिकृत साझेदार,
त्रिवेणी कृपा एन्टरप्राइजेज एलएलपी,
25ए, दर्याल नगर, गोपालपुरा बाईपास,
जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 463 (पुराना खसरा नम्बर 286/1, 286/2), ग्राम रामपुरारूपा, टौंक रोड, जयपुर के प्रस्तावित मिश्रित उपयोग (वाणिज्यिक सह आवासीय फ्लैट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2016 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 463 (पुराना खसरा नम्बर 286/1, 286/2), ग्राम रामपुरारूपा, टौंक रोड, जयपुर में स्थित भूखण्ड (2563.30 वर्गमीटर) पर 39.93 मीटर ऊँचाई (लोअर बेसमेन्ट + अपर बेसमेन्ट + लोअर ग्राउण्ड + अपर ग्राउण्ड + 11 मंजिल) के प्रस्तावित मिश्रित उपयोग (वाणिज्यिक सह आवासीय फ्लैट्स) के मानचित्र भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 196वीं बैठक दिनांक 05.09.2017 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 196वीं बैठक दिनांक 05.09.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह मार्च 2023 (दिनांक 01.04.2016 को जारी मानचित्रानुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन-01 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 01 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत मिश्रित उपयोग (वाणिज्यिक सह आवासीय फ्लैट्स) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।

15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
 16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
 18. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखे जावे तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
 19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
 20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
 21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
 22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
 23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
 24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
 25. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावे।
 26. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
 27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
- संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (11 मानचित्र)

भवदीय,

 16/X/17
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-01, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-01, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक-बीपीसी (बी.पी.), जयपुरा, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि० विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन ग्राहक तमिल (को.टी.) को 196 को
 डेस्क विपिन 25/1/17 से विवे नवे निम
 को अनुपलना में सवन मानचित्र पत्रक जिका
 त स. / पीपीसी (पीपी) को 2269 विपिन
 17/1/2017 को अनुपलित कर जारी विवे नवे।

OTHER'S LAND

हरिहर नगर पंचायत
 सवन मानचित्र संहिता
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

AREA STATEMENT

S.No.	FLOOR	BLOCK AREA	CUT-OUT AREA	SERVICES AREA	GROSS BUILT UP AREA	BALCONY AREA	FIRE STAIRCASE AREA	BUILT UP AREA	STAIR CASE AREA	LIFT AREA	CORRIDOR AREA	STORE AREA	F.A.R. AREA
		A	B	C	D = (A-B-C)	E	F	G = (D-E-F)	H	I	J	K	M = (G-H-I-J-K)
PARKING													
1	LOWER BASEMENT	1835.74	0	0	1835.74	0	0	1835.74	12.30	15.66	0	0	NILL
2	UPPER BASEMENT	1835.74	0	0	1835.74	0	0	1835.74	12.30	15.66	0	0	NILL
	TOTAL	3671.5	0.0	0.0	3671.5	0.0	0.0	3671.5	24.6	31.3	0.0	0.0	NILL
COMMERCIAL CALCULATION													
3	LOWER GROUND	891.16	0	2.33	888.83	0	0	888.83	26.25	15.66	227.84	0	619.08
4	UPPER GROUND	903.80	66.96	14.10	822.75	0	12.63	810.12	13.61	15.66	190.19	0	590.66
5	FIRST FLOOR	1048.15	67.06	2.33	978.77	2.69	20.33	955.85	12.23	15.66	238.48	0	689.48
6	SECOND FLOOR	1048.48	67.06	2.33	979.10	8.00	19.71	951.39	12.23	15.66	304.58	0	618.92
7	THIRD FLOOR	1050.88	0	5.24	1045.64	109.40	18.60	917.64	12.30	15.66	145.19	0	744.49
8	FOURTH FLOOR	1051.15	0	5.24	1045.91	81.00	18.60	946.31	13.23	15.66	144.12	0	773.30
	TOTAL	5993.62	201.05	31.57	5761.00	200.99	89.87	5470.14	89.85	93.96	1250.40	0.00	4035.93
RESIDENTIAL CALCULATION													
9	FIFTH FLOOR	951.79	0	7.38	944.41	66.2	21.80	856.41	11.87	8.12	117.03	20.58	698.81
10	SIXTH FLOOR	951.79	0	7.38	944.41	66.2	21.80	856.41	11.87	8.12	117.03	20.58	698.81
11	SEVENTH FLOOR	951.79	0	7.38	944.41	66.2	21.80	856.41	11.87	8.12	117.03	20.58	698.81
12	EIGHTH FLOOR	951.79	0	7.38	944.41	66.2	21.80	856.41	11.87	8.12	117.03	20.58	698.81
13	NINTH FLOOR	951.79	0	7.38	944.41	66.2	21.80	856.41	11.87	8.12	117.03	20.58	698.81
14	TENTH FLOOR	951.79	0	7.38	944.41	66.2	21.80	856.41	11.87	8.12	117.03	20.58	698.81
15	ELEVENTH FLOOR	951.79	0	7.38	944.41	66.2	21.80	856.41	11.87	8.12	117.03	20.58	698.81
16	TERRACE	58.33	0	2.33	56.00	0	21.80	34.20	11.87	8.12	0	0	NILL
	TOTAL	6720.86	0.00	53.99	6666.87	463.40	174.40	6029.07	94.96	64.96	819.21	144.06	4891.67
	GRAND TOTAL	16386.0	201.1	85.6	16099.4	664.4	264.3	15170.7	209.4	190.2	2069.6	144.1	8927.6

AREA STATEMENT FOR - COMMERCIAL :-

	GROSS BUILT-UP AREA (Sq.Mt.)	BUILT-UP AREA (Sq.Mt.)	F.A.R. (Sq.Mt.)
	5761.00	5470.14	4035.93
1.	PERMISSIBLE CORRIDOR AREA 20% OF 4035.93 = 807.18 ACHIEVED CORRIDOR AREA = 1250.40 EXCEED CORRIDOR F.A.R.		443.22
2.	PERMISSIBLE SERVICES AREA 7% OF 4035.93 = 282.51 ACHIEVED SERVICES AREA = 31.57 EXCEED SERVICES F.A.R.		NILL
	TOTAL ACHIEVED F.A.R.		4479.15

AREA STATEMENT FOR - RESIDENTIAL :-

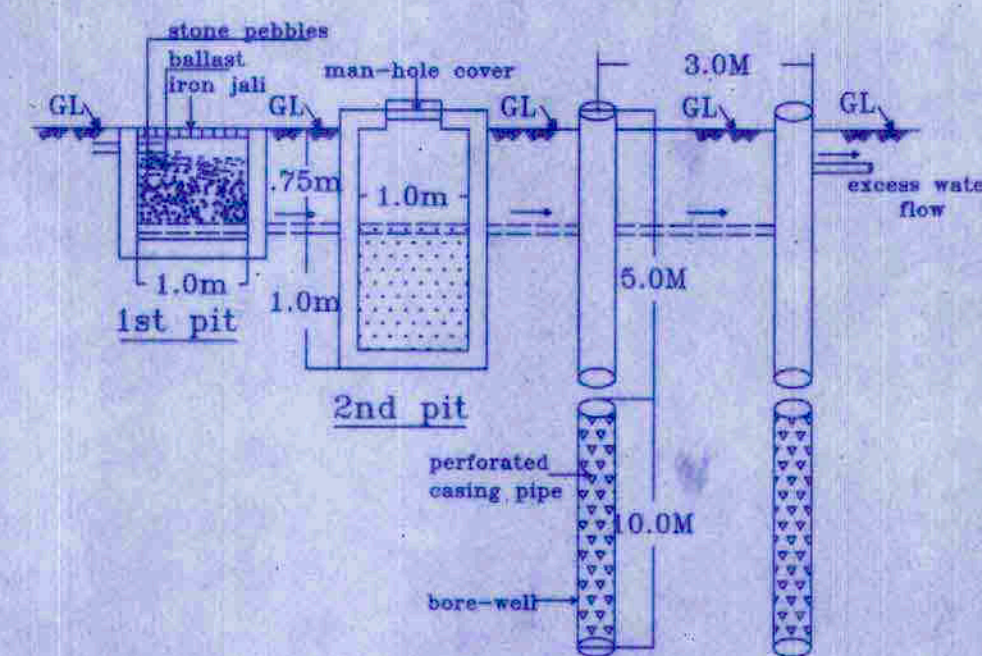
	GROSS BUILT-UP AREA (Sq.Mt.)	BUILT-UP AREA (Sq.Mt.)	F.A.R. (Sq.Mt.)
	6666.87	6029.07	4891.67
1.	PERMISSIBLE STORE AREA 3% OF 4891.67 = 146.75 ACHIEVED STORE AREA = 144.06 EXCEED STORE F.A.R.		NILL
2.	PERMISSIBLE CORRIDOR AREA 15% OF 4891.67 = 733.75 ACHIEVED CORRIDOR AREA = 819.21 EXCEED CORRIDOR F.A.R.		85.46
3.	PERMISSIBLE SERVICES AREA 7% OF 4891.67 = 342.41 ACHIEVED SERVICES AREA = 53.99 EXCEED SERVICES F.A.R.		NILL
	TOTAL ACHIEVED F.A.R.		4977.13

TOTAL AREA DETAIL PARKING + COMMERCIAL & RESIDENTIAL :-

	GROSS BUILT-UP AREA (Sq.Mt.)	BUILT-UP AREA (Sq.Mt.)	TOTAL F.A.R. (Sq.Mt.)
	16099.40	15170.70	9456.28

PARKING CALCULATION:-

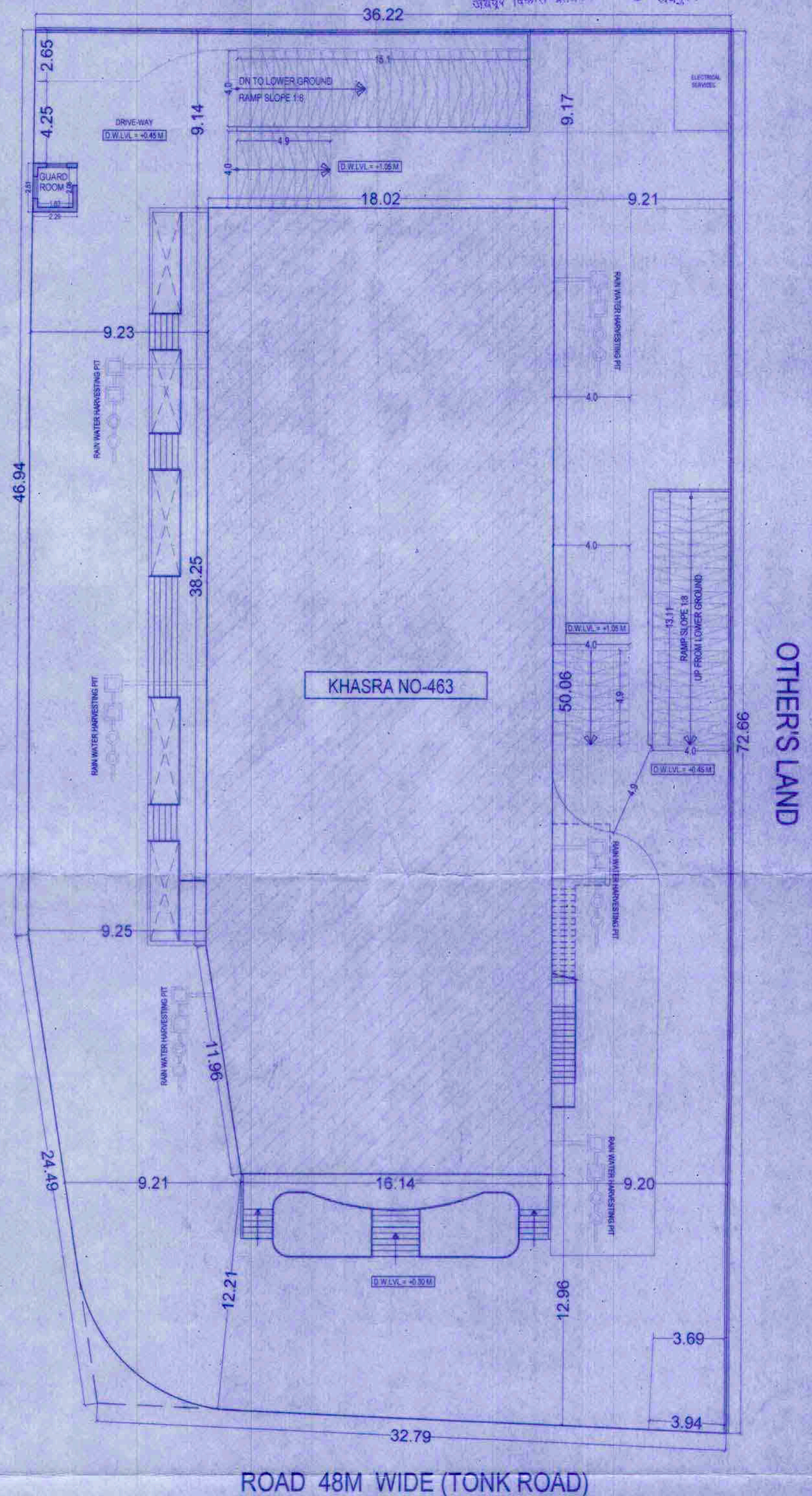
E.C.U. FOR PARKING REQUIRED COMMERCIAL = 4479.15 / 50 = 89.58 E.C.U.
 E.C.U. FOR PARKING REQUIRED RESIDENTIAL = 4977.13 / 75 = 66.36 E.C.U.
 TOTAL REQUIRED ECU = 89.58 + 66.36 = 155.94 ECU
 ADD 25% FOR VISITORS' PARKING = 1.25 X 155.94 = 194.92 E.C.U.
 TOTAL REQUIRED ECU = 194.92 ECU ~ say 195 ECU
 75% CAR = 146.19 ECU ~ 146 CARS
 25% SCOOTER = 48.73 X 3 = 146.25 ~ 146 SCOOTERS
E.C.U. PROVIDED
 1. ON SET BACK CARS = 46 Nos. SCOOTER = 17 Nos.
 2. ON LOWER BASEMENT SURFACE CARS = 17 Nos. MECH. CARS = 48 Nos. TOTAL CARS = 65 Nos. SCOOTER = 85 Nos.
 3. ON UPPER BASEMENT CARS = 35 Nos. SCOOTER = 45 Nos.
 CARS = 46+65+35 = 146 CARS = 146 ECU
 SCOOTER = 17+85+45 = 147/3 SCOOTER (49 E.C.U)
 TOTAL ECU PROVIDED = 146+49 = 195 ECU



SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA = 2563.30 SQ.MT.
2.	MAX.PER.F.A.R. AREA = 3.75 X 2563.30 = 9612.37 SQMT
3.	F.A.R. AREA FOR LAND SURRENDERED UNDER ROAD WIDENING = 187.47 SQMT
4.	PERMISSIBLE F.A.R. AREA = 9799.84 SQ.MT. (3.82 FAR)
5.	PROPOSED F.A.R. AREA = 9456.28 SQ.MT. (3.68 FAR)
6.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 33 %
7.	TOTAL REQUIRED E.C.U. = 195.00 ECU
8.	TOTAL PROPOSED E.C.U. = 195.00 ECU

ROAD 18M WIDE



SITE PLAN & WATER HARVESTING PLAN (SCALE:- 1:200)

PROJECT:

PROPOSED COMMERCIAL / FLATS AT KHASRA NO. 463
 AT VILLAGE RAMPURA RUPA, TONK ROAD, TEH.DISTT. JAIPUR

SCALE:

1:100



ARCHITECT

KUMAR KUMAR
 SPACE GRID
 8-6, MOTI MARG, BAPU NAGAR
 JAIPUR. PH- 05214510803

APPLICANT

For Triveni Kripa Enterprises Limited
 Liability Partnership
 Designated Partner

बनपुर विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश सरकार
महानगरपालिका क्षेत्र विकास
विभाग
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं

सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं

सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं

सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं

SHEET NO-2

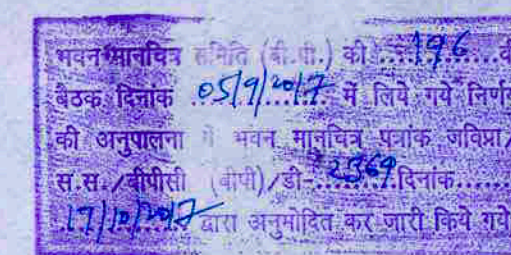
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं

ROAD 18M WIDE

ROAD 48M WIDE (Tonk Road)

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT:	PROPOSED COMMERCIAL / FLATS AT KHASRA NO. 463 AT VILLAGE RAMPURA RUPA, TONK ROAD, TEH.DISTT. JAIPUR	SCALE:	1:100	NORTH	E N W	ARCHITECT	KUMAR SPACE GRID B-6, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR, PH- 09314510603	APPLICANT	Triveni Kripa Enterprises Limited Liability Partnership Designated Partner
----------	--	--------	-------	-------	-------------	-----------	--	-----------	--

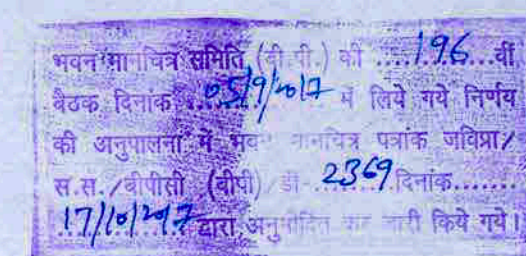



 16/8/17
 श्रीरक्षित मुख्य नगर निवाज
 नवन मानविक समिति
 जिला विकास समितिके अध्यक्ष, जयपुर

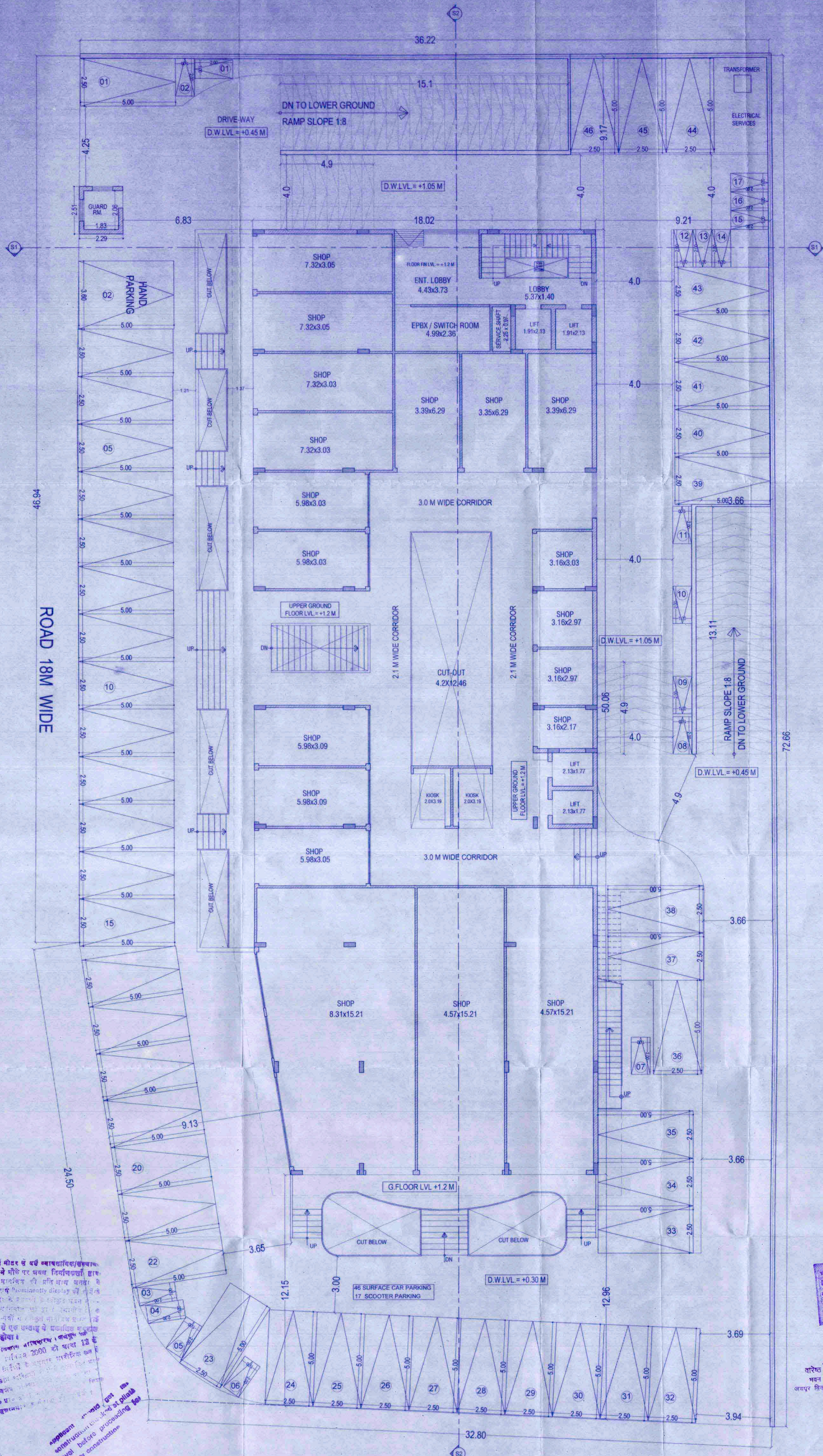
APPLICANT

For Triveni Knpa Enterprises Limited
Liability Partnership

Michael J. Green
Michael J. Green




 16/1/17
 श्रीविप्लव मुखर्जी नगर नियोजक
 नगर मानवित्व प्रभक्ति
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[illegible]

भारत प्राचीन विमान (बी.पी.) की 196. बी.
 05/9/27 पर लिखे गये निर्णय
 के अनुसार नये भारत मानचित्र पत्रिका नज़िफा
 त. स. 1927 (बी.) की 2369 नज़िफा
 17/9/27 पर निर्णय के अनुसार नये निर्णय

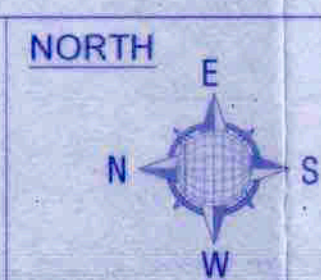
अनुसूचित जाति

11-12-2011
 वारेष्ठ नगर निगमक
 भवन मानधित जायिरे
 जयपुर विकसत प्राधिकरण जयपुर

16/12/11
 अतिरिक्त मुख्य नगर निगमक
 भवन मानधित जायिरे
 जयपुर विकसत प्राधिकरण जयपुर

PROJECT: PROPOSED COMMERCIAL / FLATS AT KHASRA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA, TONK ROAD, TEH.DISTT. JAIPUR

SCALE :
1:100



ARCHITECT

K. S. B. S.

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT

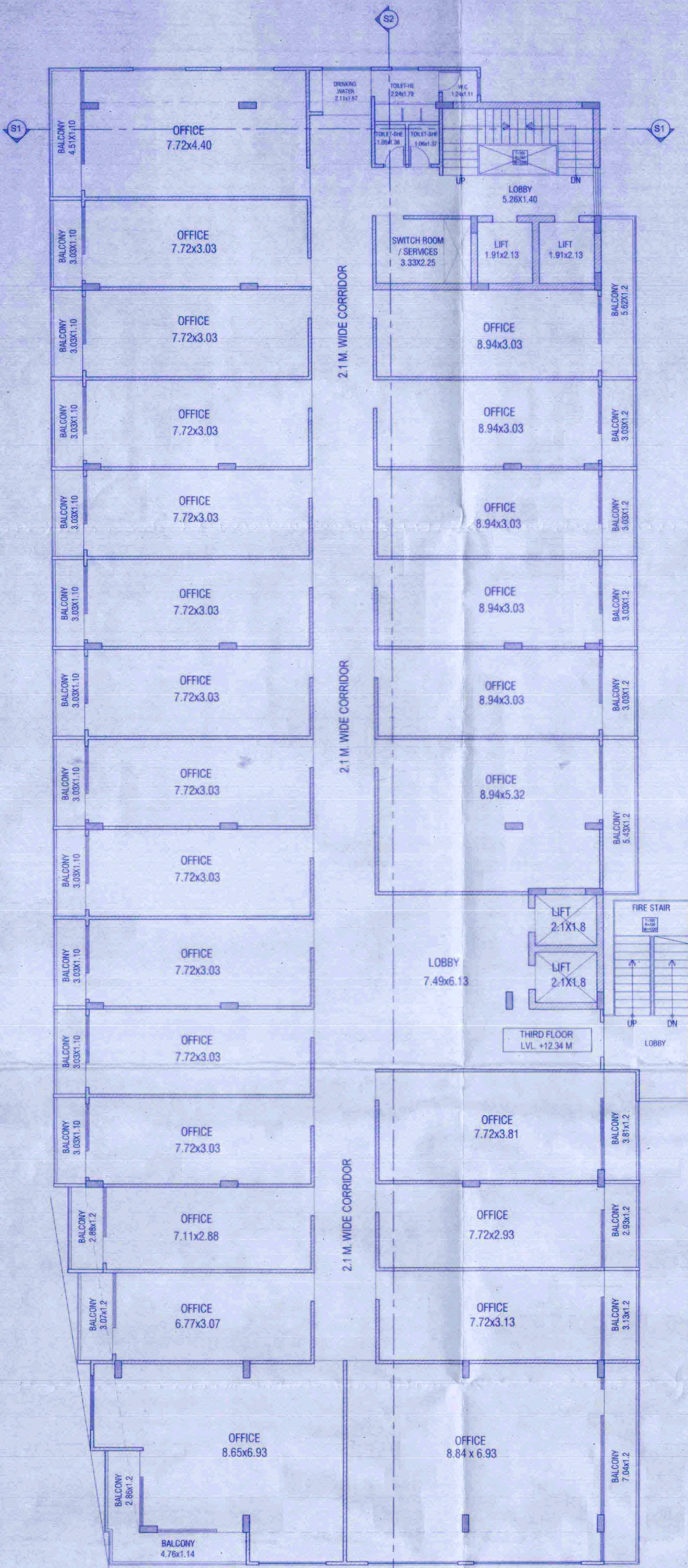
SPACE GRID CA / 2000 / 26400

B-6, MOTI MARG, BAPU NAGAR
JAIPUR. PH- 09314510603

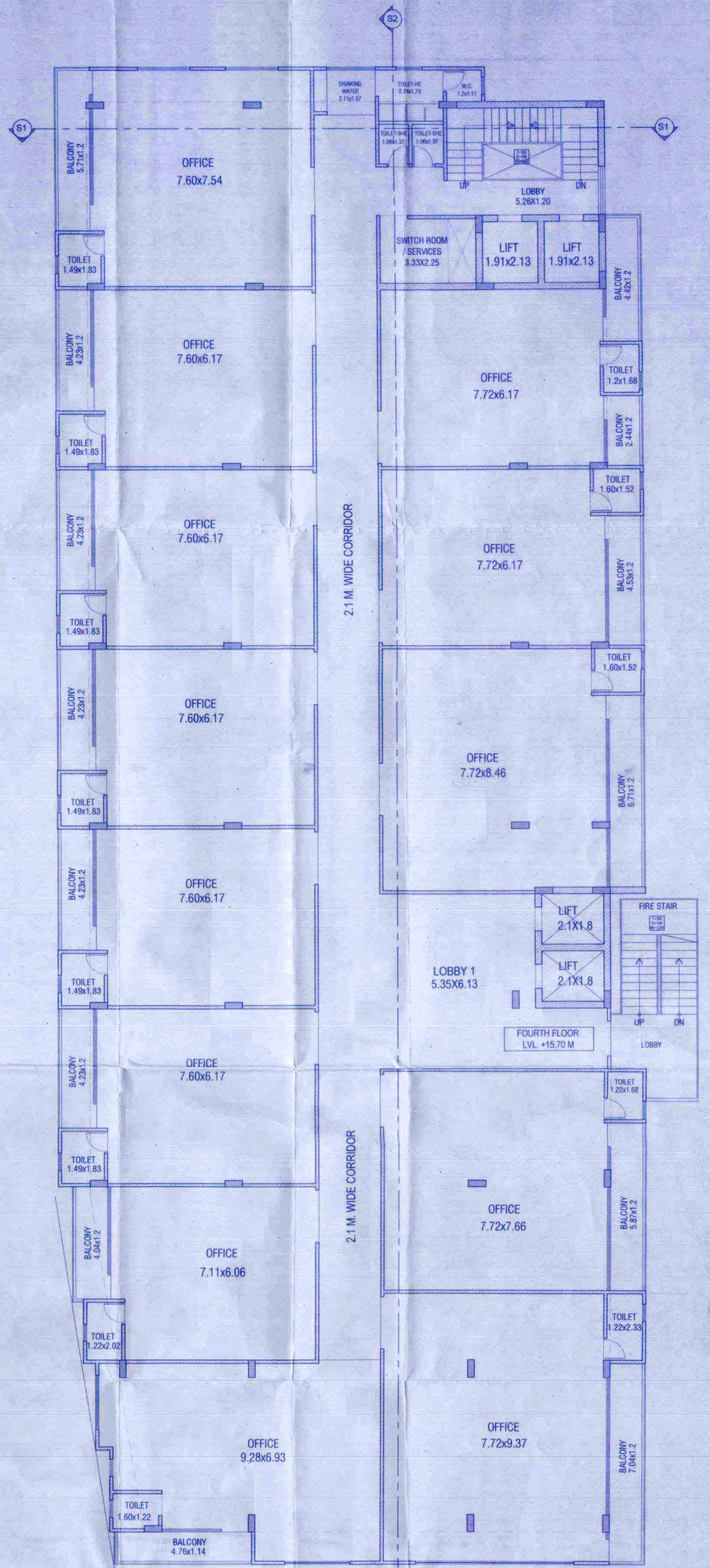
APPLICANT

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership

Mahesh Kumar
Designated Partner



THIRD FLOOR PLAN



FOURTH FLOOR PLAN

[illegible]

apparent structural gain in
construction checked at pilot
level before proceeding for
further construction

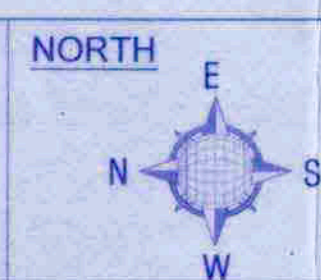
मदन माधव तपित (बी.पी.) की ... 196 ... वीं
वैठक दिनांक 05/11/2017 में लिये गये निर्णय
के अनुपालना में मदन माधव पत्रांक जधिया/
स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-2369 दिनांक.....
17/10/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुप्रास

16-12-2017
बारिष्ठ भंगर नियोजक
मनन मानोपेक्ष समिति
लखनऊ विकास प्राधिकरण

PROJECT:
PROPOSED COMMERCIAL / FLATS AT KHASRA NO. 463
AT VILLAGE RAMPURA RUPA, TONK ROAD, TEH.DISTT. JAIPUR

SCALE :
1:100



ARCHITECT


KUMAWAT B. KUMAR
ARCHITECT

SPACE GRID CA / 2000 / 20.00

B-6, MOTI MARG, BAPU NAGAR
JAIPUR, PH- 09314510603

APPLICANT

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership

noheer Bhatnagar
Designated Partner

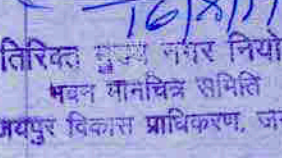
अब वह मोटर से बने ब्याडलाइफ/संस्थापक
पुलवों के नीचे पर सचन निर्माणकर्ता द्वारा
संयोजित सापेक्षिकता की प्रति प्राप्त प्रस्ताव है
संयोजितता/Continuously display की कार्य-
प्रणाली का प्रयोग करने के लिए सचन सापेक्ष-
ता/सचन सापेक्षता की प्रति प्राप्त प्रस्ताव है
प्रस्ताव-पुलवों के संयोजितता/संस्थापक द्वारा
की प्रति है एक संस्थापक के संयोजितता/संस्थापक

दि: निर्देशों के अनुसार आचार्यिक रूप से
चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार
के विभिन्न आचार्यिक रूपों में आचार्यिक रूप
में २००० में निर्देशों के अनुसार
विशेषज्ञता: २००० में निर्देशों के अनुसार

१. कृषि विकास कार्यक्रम (कवपु) द्वारा
 प्रदान की जाने वाली २००० की मात्रा ८.१५
 विद्या निर्देशी के अनुसार वर्गीकृत की जाये
 और प्रदान की जाये। निम्नलिखित प्रमाण
 प्रदान की जायेगी कि निम्नलिखित प्रमाण
 प्रदान की जायेगी कि निम्नलिखित प्रमाण



For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership
M. K. Srinivas
Designated Partner



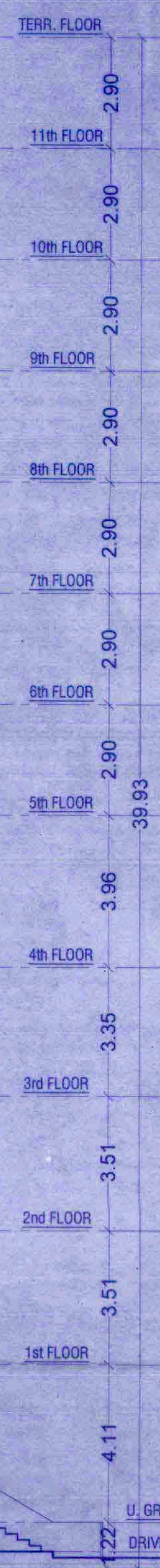
APPLICANT

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership

maheshwari
Designated Partner

SHEET NO-11

applicant should get the construction checked at plan level before proceeding to further construction.



LEFT SIDE (NORTH) ELEVATION



REAR SIDE (EAST) ELEVATION

APPLICANT

For Triveni Kripa Enterprises Limited
Liability Partnership - (P)

Mohit Agrawal
Designated Partner